न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पहाडी (भरतपुर)
पीठासीन अधिकारी संजय गोयल आर0ए0एस

मुकदमा नं0 38 / 2021

1. दिलशान
2. सुहैल पिसरान इरसाद नाबालिग प्राकृति संरक्षक माता कुरसीदन पत्नी इरसाद जाति मेव निवासी खेडली मन्ना तहसील पहाडी
3. जुबैर खां पुत्र भुरू जाति मेव निवासी उडकी मोहमदा तहसील नगर

प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील पहाडी (भरतपुर)
2. साबिर पुत्र रसीद
3. रसीद पुत्र साहब जाति मेव निवासी जोधपुर तहसील पहाडी

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 136 एल0आर0 एक्ट

1. श्री सतीश शर्मा वकील प्रार्थीगण
2. श्री मौहम्मद खां वकील अप्रार्थीगण संख्या 2 व 3

दिनांक :– 27 / 06 / 2022

उपखण्ड अधिकारी पहाडी जिला कलेक्टर

निर्णय

प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट के तहत इस आशय का पेश किया कि साविक खसरा नम्बर 271 मिन जिसके नये खसरा नम्बर 357 / 0.32, 358 / 0.01, 359 / 0.44, बांके ग्राम खेडली मन्ना तहसील पहाडी में स्थित है । प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण नाबालिग है जो अपनी माता के संरक्षण में रहते है तथा उनकी प्राकृति संरक्षण माता है जिस कारण जरिये माता प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। साविक खसरा नम्बर 271 मिन जिसके नये खसरा नम्बर 357 / 0. 32, 358 / 0.01, 359 / 0.44, बनाये गये जिनमें से खसरा नम्बर 357 पर प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 2 एवं खसरा नम्बर 358, 359 पर अप्रार्थी संख्या 3 काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है बन्दोबस्त विभाग द्वारा आराजी खसरा नम्बर 271 मिन जिसके नये खसरा नम्बर 357 / 0.32, 358 / 0.01, बनाये गये है जिनके नये नम्बर में तरमीम बिना मौका व कब्जा के की गई है। खसरा नम्बर 357 / 0.32 पर प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 2 का कब्जा पश्चिम दिशा में सडक से लगता हुआ है व खसरा नम्बर 358 / 0.01 , 359 / 0.44 पर अप्रार्थी संख्या 3 का कब्जा पूर्व दिशा में सडक से लगता हुआ है तथा इसी तरफ काबिज रहकर काश्त करते

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

ले आ रहे है।जबकि बन्दोबस्त विभाग ने खसरा नम्बर 358/0.01 व 359/0.44 हैक्टर के सम्पूर्ण रकबे को सडक से लगता हुआ दर्शा दिया है। जबकि प्रार्थीगण के खसरा नम्बर 357/0.32 को खसरा नम्बर 359/0.44 हैक्टर के पीछे दक्षिण दिशा में दर्शा दिया है। जो कि मौके व कब्जे के बिल्कुल विपरीत है। सैटलमेन्ट विभाग को मुताबिक कब्जा एवं पैमाईश करने के बाद ही नया नक्शा निर्मित करना चाहिए था ऐसा ना करके सैटलमेन्ट विभाग ने कानूनी प्रावधानों के विपरीत कार्य किया है। उक्त नवीन खसरा नम्बर के नक्शे ट्रेस दिनांक 07/07/2021 को लेने पर मुझ प्रार्थी को जानकारी में आया ।अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि बन्दोबस्त विभाग द्वारा तैयार किये गये नवीन नक्शे में हाल मौका व कब्जा के अनुसार हम प्रार्थीयान के खसरा नम्बर 357/0.32 है0 को सडक से लगता हुआ पश्चिम दिशा में व अप्रार्थी संख्या 3 के खसरा नम्बर 358/0.01, 359/0.44 हैक्टर को सडक से लगता हुआ पूर्व दिशा में दर्शाकर संशोधित किया जावें।

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 तहसीलदार पहाडी स्वयं न्यायालय में उपस्थित आये मौका पर्चा रिपोर्ट इस आशय का पेश किया कि ग्राम खेडली मन्ना के खसरा नम्बर 357/0.32, 358/0.01, 359/0.44 के मौके पर मय पटवारी हल्का मौके पर पहुंचे आराजी खसरा नम्बरान का मौके व रिकॉर्ड की स्थित से मिलान किया गया मुताबिक रिकॉर्ड जमाबन्दी आराजी खसरा नम्बर 357/0.32 नाबालिग दिलशान, सुहैल पिसरान इरसाद हिस्सा 1/2 साबिर पुत्र रसीद हिस्सा 1/2 जाति मेव साकिन खेडली मन्ना व खसरा नम्बर 358/0.01, 359/0.44 रसीद पुत्र साहब खां हिस्सा पूर्ण जाति मेव साकिन खेडली मन्ना दर्ज रिकॉर्ड है मुताबिक मौका खसरा नम्बर 357/0.32, 359/0.44 के पश्चिम दिशा में स्थित है। आराजी खसरा नम्बर 357/0.32 का 1/2 हिस्सा नाबालिग दिलसान, सुहैल पिसरान जाति मेव द्वारा जुबेर पुत्र नुरू जाति मेव साकिन उडकी माहम्मदा तहसील नगर को बेचान किया जा चुका है। वर्तमान में आराजी खसरा नम्बर 357/0.32 के 1/2 हिस्सा जो कि सडक के लम्बबत स्थित है। जिसमें गेहूँ की फसल बोई हुई है एवं जिस पर क्रेता का कब्जा है। सैटलमेन्ट से पूर्व खसरा नम्बर 357/0.32, 358/0.01, 359/0.44, एक ही आराजी खसरा नम्बर 271 था ग्राम खेडली मन्ना के आराजी खसरा नम्बर 357/0.32, 358/0.01, 359/0.44, की मौका व रिपोर्ट की स्थित भिन्न है। मौका पर्चा तैयार कर पढकर सुनाया गया । उपस्थित व्यक्तियों के हस्ताक्षर व अंगूठा कराये गये।

अप्रार्थीगण संख्या 2 व 3 जरिये वकील न्यायालय में उपस्थित आये जबाब इस आशय का पेश किया कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण को तंग व परेशान एवं झूठा प्रस्तुत किया है जो खारिज किये जाने योग्य है। सैटलमेन्ट विभाग द्वारा मुताबिक मौका कब्जानुसार आराजी मुत0 का नजरी नक्शा तैयार किया गया है जो सही है। प्रार्थीगण द्वारा सैटलमेन्ट के नजरी नक्शे को स्वीकार करते हुये । अपने हिस्से की आराजी का बेचान दिनांक 26/03/2021 को जुबेर पुत्र नुरू जाति मेव निवासी उडकी मोहमदा तहसील नगर को कर दिया है।

उपखण्ड अधिकारी
[illegible] (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

इसलिए प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का कोई औचित्य नहीं है।क्योकि प्रार्थीगण उक्त आराजी के मालिक नहीं रहे है। इस विनाय पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण काबिले खारिजी है। अतः जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीयान मय खर्चा खारिज फरमाया जावें।

बहस वकील उभय पक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों को ही पुनः दोहराया है।

हमने बहस उभय पक्षकारान का मनन किया, पत्रावली में संलग्न राजस्व रिकॉर्ड एवं तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका पर्चा रिपोर्ट का गहनता से अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रकरण नक्शा शुद्धि का है। मुताबिक राजस्व रिकार्ड आराजी साविक खसरा नम्बर 271 मिन जिसके नये खसरा नम्बर 357/0.32, 358/0.01, 359/0.44, बांके ग्राम खेडली मन्ना तहसील पहाडी में स्थित है। जिनमें से खसरा नम्बर 357 पर प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 2 एवं खसरा नम्बर 358, 359 पर अप्रार्थी संख्या 3 काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है।

इस संबंध में हाल एवं साविक नक्शें का भी अवलोकन किया गया। साविक नक्शें में कोई भी तरमीम उपलब्ध नही है। परन्तु हाल नक्शें में प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 2 की आराजी खसरा संख्या 357 को सड़क से हटकर प्रर्दशित कर दिया गया है। एवं अप्रार्थी संख्या 3 की आराजी खसरा संख्या 359 को सड़क से लगता प्रर्दशित कर दिया गया है। जबकि मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट खसरा संख्या 357 एवं 359 दोनों ही मौके पर सड़क से लगते हुए है। उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि बन्दोबस्त विभाग द्वारा नक्शा तरमीम करते समय भारी भूल की है। जिसे सुधारा जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट स्वीकार किया जाता है। मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट दिनांक 03.03.2022 प्रार्थीयान के खसरा नम्बर 357/0.32 है0 को सडक से लगता हुआ पश्चिम दिशा में व अप्रार्थी संख्या 3 के खसरा नम्बर 358/0.01, 359/0.44 हैक्टर को सडक से लगता हुआ पूर्व दिशा में दर्शाकर संशोधित किया जावें। तहसीलदार रिपोर्ट दिनांक 03.03.2022 निर्णय के साथ जुज रहेगी।

निर्णय आज दिनांक 27/06/2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(संजय गोयल)
उपखण्ड अधिकारी
पहाडी (भरतपुर)

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner